फर्द अहकाम

प्रभुनारायण बनाम श्रीराम

नाम न्यायालय

केस संख्या 133/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी [illegible] तथा 5 उपस्थित, अप्रार्थी सं. 5 के पुत्र भी कई अवसर दिये जा चुके हैं, परन्तु अभी तक पेश नहीं हुए अतः पश्चात प्रार्थना पत्र व बावजूद कई दिन प्रतीक्षा। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 व 6 अपरक्त तामील उपस्थित की, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी। पत्रावली वास्ते बहस T.I. हेतु दिनांक 13/5/24 को पेश हो। उप [illegible] जयपुर (द्वितीय)
	13/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 5 उपस्थित। वास्ते बहस T.I. हेतु दिनांक 20/5/24 को पेश हो। [illegible] जयपुर (द्वितीय)
	20/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते बहस T.I. हेतु पत्रावली दि० 4/6/24 को पेश हो। उपखण्ड [illegible] जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	4/6/24	[illegible] साहब [illegible] 25/6/24 [illegible]

फर्द अहकाम

प्रभुनारायण बनाम श्रीराम

न्यायालय

वाद सं. 133/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/6/24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित, अभिभाषक की बहस सुनी गई। उभय पक्ष की बहस व पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन करने पर उभय पक्ष के आपसी सहमति मेलमिलाप से पाबन्द किया जाता है कि दलवाड़ के निस्तारण तक वाले ग्राम कुरिया, परवाट हल्का कल्याणपुर, भू०स० सि० मेन सांगानेर तह० सांगानेर में स्थित खसरा नं० 51 कुल बिघा 1 कुल रकबा 0.25 हे०मी० में राजस्व रिकार्ड एक गौशाला की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज रजिस्टर हो कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:24:20 IST
Reason: SelfAttested